रजिस्ट्री सं० डी० एल० (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 21] नई दिल्ली, मई 21—मई 27, 2006, शनिवार/वैशाख 31—ज्येष्ठ 6, 1928

No. 21] NEW DELHI, MAY 21—MAY 27, 2006, SATURDAY/VAISAKHA 31—JYAISTHA 6, 1928

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 मई, 2006

सा.का.नि. 118.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सफदरजंग अस्पताल (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती नियम, 1973 जहां तक इसका संबंध ड्राइवर (बड़ी गाड़ी) और ड्राइवर/एंबुलेंस ड्राइवर (हल्की गाड़ी) के पद से है को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में ड्राइवर (विशेष श्रेणी, श्रेणी-1, श्रेणी-2 और सामान्य श्रेणी) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली ड्राइवर (विशेष श्रेणी, श्रेणी-1, श्रेणी-2 और सामान्य श्रेणी) भर्ती नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** : यह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समचीन है, वहां वह जो उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका क्रेन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6
1. ड्राइवर (विशेष श्रेणी)	1* (एक) (2006) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	5000-150-8000 रुपए	अचयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नही होता	नहीं

भर्ती की पद्धति : क्या भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
11	12
प्रोन्नति द्वारा। **टिप्पणी** : (i) कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) का.ज्ञा. सं. 43019/54/96-स्था. (डी) तारीख 15-2-2001 के अनुसरण में इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर ड्राइवर	**प्रोन्नति** : 4500-7000 रुपए के वेतनमान में के ऐसे ड्राइवर (श्रेणी-1) में से जिन्होंने उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां

11	12
(विशेष श्रेणी) के रूप में आरंभिक रूप से नियुक्त किए गए अधिकारी उक्त पद के लिए आरंभिक गठन के प्रक्रम पर उस पद पर नियुक्त किए गए समझे जाएंगे। (ii) पद पर उनकी नियुक्ति के पूर्व उपरोक्त पैरा (i) में उल्लिखित अधिकारियों की नियमित निरंतर सेवा परिवीक्षा अवधि प्रोन्नति, पुष्टि और पेंशन के लिए अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए गणना में ली जाएगी।	उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पालता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पालता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पालता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक —अध्यक्ष 2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (भारसाधक–परिवहन) —सदस्य 3. उप निदेशक (प्रशासन) —सदस्य 4. प्रशासनिक अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता।

1	2	3	4	5	6
2. ड्राइवर (श्रेणी–1)	10* (दस) (2006) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	4500–125–7000 रुपए	अचयन	लागू नहीं होता

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नही होता	कुछ नहीं

11	12
प्रोन्नति द्वारा टिप्पणी : (i) कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) का.ज्ञा. सं. 22036/1/92-स्था. (डी), तारीख 30-11-1993 और का. ज्ञा. सं. 43019/54/96- स्था. (डी), तारीख 15-2-2001 के अनुसरण में इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर ड्राइवर (श्रेणी-1) के रूप में आरंभिक रूप से नियुक्त किए गए अधिकारी उक्त पद के लिए आरंभिक गठन के प्रक्रम पर उस पद पर नियुक्त किए गए समझे जाएंगे। (ii) पद पर उनकी नियुक्ति के पूर्व उपरोक्त पैरा (i) में उल्लिखित अधिकारियों की नियमित निरंतर सेवा परिवीक्षा अवधि, प्रोन्नति, पुष्टि	प्रोन्नति : 4000–6000 रुपए के वेतनमान में के ऐसे ड्राइवर (श्रेणी-2) में से जिन्होंने उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् छह वर्ष की नियमित सेवा की हो। या ड्राइवर (श्रेणी-2) और ड्राइवर (सामान्य श्रेणी) की श्रेणियों में 15 वर्ष संयुक्त सेवा की हो, जो व्यवसाय परीक्षण के उत्तीर्ण करने के अधीन रहते हुए होगा, जिसके लिए पाठ्यविवरण निम्नानुसार होगा :— (i) अंग्रेजी अंक और संख्या को पढ़ने की योग्यता होनी चाहिए। (ii) यातायात के विनियमों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। (iii) पेट्रोल और डीजल इंजन के कार्यकरण का अच्छा ज्ञान होना और खराबियों का पता लगाने तथा छोटी-मोटी खराबियों को दूर करने की योग्यता होनी चाहिए। (iv) कार्बोरेटर प्लग आदि को साफ करने की योग्यता होनी चाहिए।

11	12
और पेंशन के लिए अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए गणना में ली जाएगी।	टिप्पणी : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक — अध्यक्ष 2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (भारसाधक-परिवहन) — सदस्य 3. उप निदेशक (प्रशासन) — सदस्य 4. प्रशासनिक अधिकारी — सदस्य	लागू नहीं होता।

1	2	3	4	5	6
3. ड्राइवर (श्रेणी-2)	9*(नौ) (2006) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	4000-100-6000 रुपए	अचयन	लागू नहीं होता

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नही होता	कुछ नहीं

11	12
प्रोन्नति द्वारा टिप्पणी : (i) कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) का.ज्ञा. सं. 22036/1/92-स्था. (डी) तारीख 30-11-1993 और का.ज्ञा.सं. 43019/54/96-स्था. (डी) तारीख 15-2-2001 के अनुसरण में इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर ड्राइवर (श्रेणी-1) के रूप में आरंभिक रूप से नियुक्त किए गए अधिकारी उक्त पद के लिए आरंभिक गठन के प्रक्रम पर इस पद पर नियुक्त किए गए समझे जाएंगे। (ii) पद पर उनकी नियुक्ति के पूर्व उपरोक्त पैरा (i) में उल्लिखित अधिकारियों की नियमित निरंतर सेवा परिवीक्षा अवधि, प्रोन्नति, पुष्टि और पेंशन के लिए अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए गणना में ली जाएगी।	प्रोन्नति : 3050-4590 रुपए के वेतनमान में के ऐसे ड्राइवर (साधारण श्रेणी) जिन्होंने उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् नौ वर्ष की नियमित सेवा की हो। जो व्यवसाय परीक्षण के उत्तीर्ण करने के अधीन रहते हुए होगा, जिसके लिए पाठ्यविवरण निम्नानुसार होगा :-- (i) अंग्रेजी अंक और संख्या को पढ़ने की योग्यता होनी चाहिए; (ii) यातायात के विनियमों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए; (iii) खराबियों का पता लगाने तथा छोटी-मोटी मरम्मत करने की योग्यता होनी चाहिए; (iv) पहिए बदलने और यथोचित हवा भरने की योग्यता होनी चाहिए;

12
टिप्पणी : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

13		14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :		लागू नहीं होता ।
1. अपर चिकित्सा अधीक्षक	— अध्यक्ष	
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (भारसाधक-परिवहन)	— सदस्य	
3. उप निदेशक (प्रशासन)	— सदस्य	
4. प्रशासनिक अधिकारी	— सदस्य	

1	2	3	4	5	6	7
4. ड्राइवर (सामान्य श्रेणी)	9(नौ)* (2006) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	3050-75-3950-80-4590 रुपये	लागू नहीं होता	नहीं	18 और 25 के बीच (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार और सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) **टिप्पण 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

1457 GI/06-2

7
टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माधयम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

8	9	10
आवश्यक : (i) मोटर कार चलाने के लिए वैध चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए । (ii) मोटी तंत्र का ज्ञान हो (अभ्यर्थी यानों में छोटी मोटी खराबियों को दूर करने के लिए योग्य होना चाहिए) ; (iii) मोटर कार चलाने का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो । **वांछनीय :** भारी यान चलाने की वैद्य चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए । अनुभव संबंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

11	12
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक —अध्यक्ष 2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (भारसाधक-परिवहन) —सदस्य 3. उप निदेशक (प्रशासन) —सदस्य 4. प्रशासनिक अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. ए. 12018/23/1998–आरआर(एच)]

यू. सी. नांगिया, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 8th May, 2006

G.S.R. 118.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Safdarjung Hospital (Class III posts) Recruitment Rules, 1973, in so far as it relates to the posts of Driver (Heavy Vehicle) and Driver/Ambulance Driver (Light Vehicle) except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Drivers (Special Grade, Grade I, Grade II and Ordinary Grade) in the Safdarjung Hospital, New Delhi, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Safdarjung Hospital, New Delhi Drivers (Special Grade, Grade I, Grade II and Ordinary Grade) Recruitment Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scales of pay.—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, and other qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification—No person,—

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any such person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether selection or Non-selection Post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
1. Driver (Special Grade)	1(One)* (2006) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 5000-150-8000	Non-selection	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any
8	9	10
Not applicable	Not applicable	Nil

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made
11	12
By promotion **Note**: Officers initially appointed as Driver (Special grade) on regular basis as on the date of notification of these rules, in pursuance of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) O.M. No. 43019/54/96-Estt. (D) dated 15-2-2001, shall be deemed to have been appointed to the post at the initial constitution stage, to the said post. (ii) The regular continuous service of officers mentioned in para (i) above, prior to their appointment to the post shall count for the purpose of probation period, qualifying service for promotion, confirmation and pension.	**Promotion**: From amongst Drivers (Grade I) in the pay scale of Rs. 4500—7000, with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis. **Note**: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition ?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
13	14
Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of: 1. Additional Medical Superintendent —Chairman 2. Chief Medical Officer (Incharge—Transport) —Member 3. Deputy Director (Administration) —Member 4. Administrative Officer —Member	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
2. Driver (Grade-I)	10 (Ten)* (2006) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 4500-125-7000	Non-selection	Not applicable	Not applicable

8	9	10
Not applicable	Not applicable	Nil

11	12
By promotion : **Note :** Officers initially appointed as Driver (Grade-I) on regular basis on the date of notification of these rules, in pursuance of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) O.M. No. 22036/1/92-Estt.(D) dated 30-11-1993 and O.M. No. 43019/54/96-Estt. (D) dated 15-2-2001 shall be deemed to have been appointed to the post at the initial constitution stage, to the said post. (ii) The regular continuous service of officers mentioned in para (i) above, prior to their appointment to the post shall count for the purpose of probation period, qualifying service for promotion, confirmation and pension.	**Promotion :** From amongst Drivers (Grade-II) in the pay scale of Rs. 4000-6000, with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis or with combined service of fifteen years in Driver (Grade-II) and Driver (Ordinary Grade), subject to passing of trade test, the syllabus for which shall be as follows : (i) must be able to read English numerals and figures; (ii) must have a thorough knowledge of traffic regulations; (iii) must have good knowledge of Petrol and Diesel Engine working and be able to locate faults and rectify minor running defects; (iv) must be able to clear carburetor, plug etc. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

13	14
Group 'C' Departmental Promotion Committee , consisting of : 1. Additional Medical Superintendent —Chairman 2. Chief Medical Officer (In charge—Transport) —Member 3. Deputy Director (Administration) —Member 4. Administrative Officer —Member	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
3. Driver (Grade-II)	9(Nine)* (2006) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 4000-100-6000.	Non-selection	Not-applicable	Not applicable

8	9	10
Not applicable	Not applicable	Nil

1457 GI/06-3

11	12
By promotion : **Note** : Officers initially appointed as Driver (Grade-I) on regular basis on the date of notification of these rules in pursuance of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) O.M. No. 22036/1/92-Estt. (D) dated 30-11-1993 and O.M. No. 43019/54/96-Estt. (D) dated 15-2-2001 shall be deemed to have been appointed to the post at the initial constitution stage, to the said post. (ii) The regular continuous service of officers mentioned in para (i) above, prior to their appointment to the post shall count for the purpose of probation period, qualifying service for promotion, confirmation and pension.	**Promotion :** From amongst Drivers (Ordinary Grade) in the pay scale of Rs. 3050—4590, with nine years' regular service in the grade, subject to passing of trade test, the syllabus for which shall be as follows : (i) must be able to read English numerals and figures; (ii) must have good knowledge of traffic regulations; (iii) must be able to locate faults and carry out minor running repairs; and (iv) must be able to change wheels and correctly inflate tyres. **Note :** where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

13	14
Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of : 1. Additional Medical Superintendent —Chairman 2. Chief Medical Officer (In charge—Transport) —Member 3. Deputy Director (Administration) —Member 4. Administrative Officer —Member	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
4. Driver (Ordinary Grade)	9(Nine)* (2006) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 3050-75-3950-80-4590	Not applicable	No	Between 18 — 25 years. (Relaxable for Government Servants upto 40 years and also for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories up to the limit prescribed in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note 1 :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India other than the closing date

7
prescribed for those in Assam, Mizoram, Manipur, Nagaland, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti districts and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territory of Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note :** In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determing the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

8	9	10
Essential : (i) possession of a valid driving licence for a motor car; (ii) knowledge of motor mechanism. (The candidate should be able to remove minor defects in vehicles); (iii) experience of driving a motor car for atleast five years. **Desirable :** Valid driving licence for a heavy vehicle. **Note :** Qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if, at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable	Two years

11	12
Direct Recruitment	Not applicable

13		14
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation only) consisting of :		Not applicable.
1. Additional Medical Superintendent	—Chairman.	
2. Chief Medical Officer (In charge—Transport)	—Member.	
3. Deputy Director (Administration)	—Member.	
4. Administrative Officer	—Member.	

[F. No. A. 12018/23/1998-RR(H)]
U.C. NANGIA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 15 मई, 2006

सा.का.नि. 119.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में वाक् चिकित्सक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली (वाक् चिकित्सक) श्रेणी 'ख' पद भर्ती नियम, 2006 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वह होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **प्रारंभिक गठन.**—इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के पहले स्तंभ में अभिकथित पद के पदधारी, इन नियमों के अधीन उक्त पद पर नियुक्त किए गए समझे जाएंगे ।

5. **निरर्हताएं :** वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति :** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति :** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद या चयन-सह-ज्येष्ठता अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6
1. वाक् चिकित्सक	2 (दो)* (2006) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	6500-200-10500 रुपए	लागू नहीं होता	नहीं